भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 640

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रारूप बीज विधेयक, 2025

640. श्री एम. के. राघवनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि बीज विधेयक, 2025 का प्रारूप, जिसमें 1966 के बीज अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, वैश्विक प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के अधिकारों और जैव-विविधता की रक्षा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है;

(ख) अनिवार्य किस्म पंजीकरण, केन्द्रीकृत प्रत्यायन, पता लगाने की क्षमता और दंड सहित प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वे छोटे और सीमांत किसानों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है कि पारंपरिक कृषि पद्धतियों (जैसे बीजों की बचत, आदान-प्रदान और पुनः उपयोग) और स्वदेशी बीज विविधता का संरक्षण किया जाए और उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(घ) प्रारूप विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दायित्वों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किया गया है और क्या इससे बिना किसी तैयारी के बीजों पर कारपोरेट नियंत्रण की सुविधा मिल सकती है; और

(ङ) प्रारूप विधेयक के संबंध में किसान समूहों, बीज विशेषज्ञों और राज्यों के साथ क्या परामर्श किया गया है और इसे अंतिम रूप देने और अधिनियमित करने की समय-सीमा क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)</u>

(क): जी, हाँ।

(ख): इस विधेयक में बाज़ार में बिक्री की जाने वाली सभी किस्मों के अनिवार्य पंजीकरण, संपूर्ण देश में एकसमान मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन एजेंसियों का प्रमाणन, बीज उत्पादक, बीज प्रसंस्करण इकाई, विक्रेता और वितरकों के पंजीकरण, पौध नर्सरी के पंजीकरण, आपातकालीन स्थिति में बीज विक्रय मूल्यों के विनियमन, बीजों के निष्पादन की अनिवार्य लेबलिंग, ट्रेसबिलिटी के लिए केंद्रीय ट्रेसबिलिटी पोर्टल पर अनिवार्य ऑन-बोर्डिंग और उल्लंघन के लिए दंड के युक्तिकरण आदि के प्रावधान हैं। इन उपायों का उद्देश्य किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना है, जिससे बीज गुणवत्ता आश्वासन मजबूत हो। ये प्रावधान सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचे, जिससे उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि और बीजों से संबंधित जोखिम कम होंगे।

(ग): इस विधेयक में किसानों के पास खेती से बचे हुए पंजीकृत किस्मों के बीजों को उगाने, बुआई करने, संरक्षित करने, आदान-प्रदान करने और बिक्री करने के अधिकारों की स्पष्ट रूप से रक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित अधिनियम किसानों पर लागू नहीं होगा और पारंपरिक किस्मों तथा किसानों द्वारा विकसित किस्मों को भी छूट दी गई है।

(घ): विधेयक के मसौदे में बीजों पर किसी भी प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार सृजित करने या प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। बौद्धिक संपदा से संबंधित मामलों का प्रबंधन पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी एवं एफआरए), 2001 के अंतर्गत अलग से किया जाता है। विधेयक का एकमात्र उद्देश्य बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना है और यह बीजों पर कॉरपोरेट नियंत्रण को बढ़ावा नहीं देता है तथा न ही किसानों के अधिकारों को कमजोर करता है।

(ङ): किसान समूहों, बीज विशेषज्ञों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर व्यापक परामर्श किया गया है। बीज विधेयक के मसौदे पर पूर्व-विधायी परामर्श भी किया गया है और प्राप्त सुझावों की जांच की गई है। इसे अंतिम रूप देने और अधिनियमित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
